रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]	नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2016/ज्येष्ठ 18, 1938
No. 23]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2016/ JYAISTHA 18, 1938

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 7 जून, 2016

आदेश

संदर्भः **वर्ष 2012 में आयोजित विधान सभा के साधारण निर्वाचन में 81–छाता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री लोकमणि कान्त जादौन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10क के अधीन अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन अपील ।**

आ. अ. 29 (अ).—यतः, विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2012 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में 81–छाता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री लोकमणि कान्त जादौन को आयोग के दिनांक 07.11.2014 के आदेश संख्या 76/उ.प्र.–वि.स./2012 के द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन निरर्हित घोषित कर दिया गया था; तथा

यतः, आयोग के दिनांक 07.11.2014 के निरर्हता आदेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् श्री लोकमणि कान्त जादौन ने आयोग के उपरोक्त आदेश द्वारा उन पर अधिरोपित निरर्हता हटाने के लिए, सुसंगत दस्तावेजों सहित, उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन अपने दिनांक 18.08.2015 और 26.08.2015 के अभ्यावेदन के द्वारा एक अपील प्रस्तुत की थी और साथ ही निजी सुनवाई के लिए भी अनुरोध किया; और

यतः, अपीलीय प्राधिकारी, श्री संदीप सक्सेना, उप निर्वाचन आयुक्त ने दिनांक 17.05.2016 को आयोग सचिवालय में श्री लोकमणि कान्त जादौन को व्यक्तिगत रूप से सुना; और

यतः, श्री लोकमणि कान्त जादौन को सुनने के पश्चात् अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि उनके पास विधि द्वारा अपेक्षित रीति तथा समय–सीमा के अंदर लेखे को प्रस्तुत करने में असफल रहने का पर्याप्त कारण था; और इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी नोट किया कि उपर्युक्त अभ्यर्थी ने अब अपना निर्वाचन लेखा अपेक्षित रीति से दाखिल कर दिया है; और

यतः, अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 07.11.2014 के उपर्युक्त आदेश द्वारा उन पर अधिरोपित निरर्हता को प्रतिसंहरित करने का निर्णय लिया है और यह भी निर्णय लिया है कि इसे 06.06.2016 से प्रतिसंहरित किया जाए; और

अब, इसलिए श्री लोकमणि कान्त जादौन, जो एक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, पर आयोग के दिनांक 07.11.2014 के आदेश संख्या 76/उ.प.0–वि.स./2012 द्वारा अधिरोपित निरर्हता को दिनांक 06.06.2016 से प्रतिसंहरित किया जाता है ।

[सं. 76/उ.प्र.–वि.स./81/2012]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रधान

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, 7th June, 2016

ORDER

In re: Appeal under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) for removal of disqualification imposed under Section 10A of the said Act on Shri Lokmani Kant Jadaun, a contesting candidate from 81-Chhata Assembly Constituency in the State of Uttar Pradesh at the General Election to Legislative Assembly held in 2012.

O.N.29(E).—Whereas, Shri Lokmani Kant Jadaun, a contesting candidate from 81-Chhata Assembly Constituency in the State of Uttar Pradesh during Legislative Assembly General Election, 2012, had been disqualified under Section 10A of the Representation of People Act, 1951, for not filing account of election expenses, vide Commission's Order No. 76/UP-LA/2012, dated 07.11.2014; and

Whereas, after receipt of the Commission's disqualification order dated 07.11.2014, Shri Lokmani Kant Jadaun, has presented, an appeal dated 18.08.2015 and 26.08.2015, under Section 11 of the aforesaid Act, along with relevant documents, for removal of disqualification imposed on him vide Commission's aforesaid order and also requested for a personal hearing; and

Whereas, the Appellate Authority Shri Sandeep Saxena, Deputy Election Commissioner has heard Shri Lokmani Kant Jadaun, in person on 17.05.2016 in the Commission's Secretariat; and

Whereas, on hearing Shri Lokmani Kant Jadaun, the Appellate Authority is satisfied that he has good reasons for his failure to lodge any account within the time and in the manner prescribed by law and has further noted that the aforesaid candidate has now filed his election account in the manner prescribed; and

Whereas, the Appellate Authority has decided to revoke disqualification imposed upon him vide aforesaid Order dated 07.11.2014 and has further decided to revoke it with effect from 06.06.2016; and

Now, therefore, the disqualification imposed upon Shri Lokmani Kant Jadaun, a contesting candidate vide Commission's Order 76/UP-LA/2012, dated 07.11.2014 is revoked with effect from 06.06.2016.

[No. 76/UP-LA/81/2012]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Senior Principal Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.